*150. *[The questioners (Dr. T. Subbarami Reddy and Shri Moolchand Meena) were absent for answer vide page* 35-36.]

Injuries to workers

**151.SHRI ABANI ROY:†
SHRI C. RAMACHANDRAIAH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that more than 50,000 workers get injured each and every working day in the country;

(b) if so, the details of deaths and injuries of workers during the last two years; and

(c) what steps Government propose to take to improve performance, increase productivity, build healthier employees relations and lower operating costs by introducing latest technologies?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SAHIB SINGH VERMA): (a) to (c) The Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Directorate General of Mines Safety compiles annually the figures relating to occurrence of deaths and serious injuries in the mining sector. The details of the deaths and serious injuries due to accidents in the factory and port premises are compiled by the Directorate General of Factory Advice Services and Labour Institutes (DGFASLI) on the basis of reports received from the Chief Inspectors of Factories (CIFs) of respective States/Union Territories. The details for the last two years are given below:—

Years Sector	Reportable injuries	2001 Fatalities	2002 Reportable injuries	Fatalities
Mines	14,622	222	11,616	161
Factories*	69,874	825	21,387	753
Ports	150	30	157	28
TOTAL	84,646	1077	33,160	942

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Abani Roy.

(*Provisional details based on inputs received by DGFASLI from CIFs)

(c) Necessary steps to improve performance, productivity and healthier employee relations are being taken by various Government agencies including the National Productivity Council, Central Board for Workers' Education and the Central and State Industrial Relations Machineries etc. These steps include awareness generation among the workers, their effective participation in socio-economic development, energy conservation activities through energy audits and improvement studies, quality enhancement through implementation of ISO-9000 studies, industrial maintenance and safety improvement through maintenance and safety audits, risk assessment studies, maintenance system improvement, knowledge and.skill improvement of supervisory level personnel etc. Emphasis is also laid on promoting the spirit of tri-partitism to forge better understanding between the employers and workers and with a view to provide a forum for discussion/dialogue among social partners on important issues.

श्री अवनि राय: सभापति महोदय, मंत्री जी जो आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों से यह पता लगता है कि वर्ष 2002 के जो आंकड़े हैं, इनमें injuries बहुत कम है। यह जो रिपोर्ट आपने दी है, इससे क्या जाहिर होता है? क्या यह factories के बंद होने की वजह से हो गया है या इनके पास पूरी information नहीं आई है क्योंकि आपने लिखा है कि – Provisional details based on input received by DGFASLI from CIFs.

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति महोदय, जो वास्तविकता है, वह मैंने बताई है। हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है और वास्तव में 2001के बजाय 2002 में खानों और कारखानों में चोट आने की घटनाओं में कमी आई है। खानों में चोट कारखानों में चोट लगने की संख्या जहां 2001 में 14,622 थी, वहीं 2002 में यह संख्या 11,616 थी। इसी प्रकार कारखानों में चोट लगने की संख्या जहां 2001 में 69,874 थी, वहीं 2002 में यह संख्या 21,387 थी। बंदरगाहों में चोट लगने की संख्या थोडी बढी है। यह संख्या 2001 में 150 थी, जो 2002 में बढकर 157 हो गई।कुल मिलाकर चोट लगने की संख्या 2001 में 84,646 से घटकर 2002 में 33,160 हो गई है। इसी प्रकार घातक दुर्घटनाएं 1,077 से घटकर 942 रह गई हैं। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, उसी आधार पर आपको बताया गया है।

श्री अवनि राय: सभापति महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने यहां लिखा है कि-"इन कदमों में का कामगारों के बीच जागरुकता सृजन, सामाजिक –आर्थिक विकास में उनकी प्रभावी सहभागिता..... शामिल है"। खाली कामगारों के सहयोग से यह नहीं होगा। उनके जो मालिक हैं, उनके साथ अगर रिश्ता ठीक ढंग से नहीं होगा तो यह नहीं हो सकता है। यह हमारे

देश में बिल्कुल है ही नहीं । मालिक हमेशा कामगारों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते है। उनके बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा है। क्या आप मालिकों के लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं ताकि यह रिश्ता ठीक ढंग से बने।

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, हम इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मालिक और ट्रेड यूनियन के लोग हमारे अधिकारियों के साथ बैठकर जहां-जहां जिस चीज की कमी है, उसको दूर करें। इसके लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड भी अवेयरनैस क्रियेट करने के लिए, दोनों के संबंध ठीक बनाने के लिए, उनको साथ बिठाने के लिए लगातार काम करता रहता है। औद्योगिक संबंध तंत्रों की जो भूमिका है, हमने हमेशा उस ओर ध्यान दिया है। हमने 2003 में अभी तक सड़क परिवहन उद्योग, जूट उद्योग आदि की 10 अप्रैल,2003 और 25 अप्रैल,2003 को बैठकें करवाई थीं। दो बैठकें तो अभी करवाई हैं वर्ष 2003म में। सूती कपड़ा उद्योग संबंधी त्रिपक्षीय समिति की बैठक भी हमने 15 दिसंबर को करवाई थी। हम लगातार यह प्रयास करते हैं कि हम इनकी बैठकें करवाते रहें और स्थिति में सुधार आए।

श्री सभापति:श्री सी. रामचन्दैया उपस्थित नहीं है। प्रभा ठाकुर जी, आप पूछिए।

डा. प्रभा ठाकुर: सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से केवल यह जानना चाहती हूं कि जिन कामगारों की मृत्यु हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं, उस स्थिति में उनको मुआवजा राशि देने के लिए न्यूनतम राशि क्या सब जगह एक-सी है और वह क्या है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में क्या ऐसा प्रावधान है कि उसी के परिवार के किसी कि कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में क्या ऐसा प्रावधान है कि उसी के परिवार के किसी सदस्य को उसके स्थान पर नौकरी दे दी जाए?

श्री साहिब सिंह वर्मा: सभापति जी, जहां कहीं किसी कामगार की मृत्यु होती है या चोट लगती है तो उनको मुआवजा मिलता है। अब कहां कितना मुआवजा मिलता है, किस केस में कितना मिलता है, इसकी डिटेल्स मेरे पास इस वक्त नहीं है। मैं माननीय सदस्या को इसका पूरा विवरण भिजवा दूंगा।

डा. प्रभा ठाकुर: सभापति जी, क्या मृतक कामगार के परिवार के किसी सदस्य को उसको स्थान पर नौकरी दी जाती है...(**व्यवधान**)...

श्री साहिब सिंह वर्मा:सभापति जी, अमूमन जिस उद्योग में इस तरह से किसी कामगार की मृत्यु होती है तो इस बात का प्रयास रहता है कि compassinate grounds पर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को appointment दी जाए लेकिन उसका एक निश्चित प्रतिशत है और यदि नौकरी मांगने वालों की संख्या उससे ज्यादा हो, तो नहीं दी जाती है।

श्री सभापति: मनोज भट्टाचार्य जी, आप पूछिए।

श्री मनोज भट्टाचार्य: सर,आज नहीं, बाद में कभी चांस दीजिएगा...(**व्यवधान**)...

شری خان غفران زاہدی: اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے پریوار کے آشرتوں کو آپ نوکری دینگے یا نہیں دینگے، یہ سوال ہے ----مداخلت-----

†**श्री खान गुफरान जाहिदी**: अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के आश्रितों को आप नौकरी देंगे या नहीं देंगे, यह सवाल है...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Regional Passport Office, Bangalore

*142. SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of passport applications/renewal applications received by the Regional Passport Office, Bangalore, from January 2002 to the end of October, 2003;

.(b) the average time taken to issue a passport; and

(c) the steps taken to help the people outside Bangalore to get the passports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI VINOD KHANNA): (a) The number of passport applications/renewals applications received by the Regional Passport Office, Bangalore, from January 2002 to the end of October, 2003 is as follows:

	2002	2003 (Jan. October)
Fresh Applications	100205	92689
Renewal Applications	33275	32015

†Transliteration of Urdu speech.